(वाद संख्या–226/19)

19.03.2021

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, कमलेश्वर सिंह के पुत्र, मनीष कुमार, की चिकित्सा में सरकारी अस्पताल, हिलसा द्वारा बरती गयी लापरवाही एवं समुचित चिकित्सा हेतु पी0एम0सी0एच0, पटना रेफर करने के उपरान्त एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराये जाने से संबंधित हैं।

उक्त के संबंध में स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के अवर सचिव के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित असैनिक–शल्य चिकित्सक–सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा के प्रतिवेदन के साथ माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C सं0 5907/2004 व L.P.A सं0 496/2016 मे पारित आदेशो की प्रति को भी अनुलग्नित किया गया है। प्रतिवेदनानुसार परिवादी द्वारा राज्य आयोग को समर्पित परिवाद के समरूप C.W.J.C सं0–5907/2004 के रूप में माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर किया गया था, जिसे माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इस आदेश को परिवादी द्वारा L.P.A सं0 496/2016 में चुनौती दी गई । माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्विसदस्सीय पीठ द्वारा L.P.A सं0 496/2016 को भी खारिज कर दिया गया है। माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्विसदस्सीय पीठ द्वारा L.P.A सं0 496/2016 के अन्तर्गत दिनांक 29. 03.2017 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित है :–

"Keeping in view the aforesaid, we grant liberty to the appellant to take recourse to the remedy of approaching the Human Rights Commission and direct that, if the proceedings are held by the Human Rights Commission and enquiry conducted by the Commission, the order passed in the writ petition shall not come in the way as the Court has not gone into the merits of the matter. The Human Rights Commission shall not take cognizance of the order passed on 28-04-2015 in C.W.J.C No. 5907 of 2004 and nothing contained in the order shall come in the way of the appellant in prosecuting the matter before the Human Rights Commission. Human Rights Commission shall be free to independently deal with the matter in accordance with law without being influenced by the order passed in the writ petition.

With the aforesaid, this appeal stands disposed of. "

L.P.A सं0 496/2016 के अन्तर्गत दिनांक 29.03.2017 को पारित आदेश का पुर्नविलोकन करने हेतु परिवादी की ओर से माननीय पटना उच्च न्यायालय में Civil Revision सं0157/2017 दाखिल किया गया, जिसे भी माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

असैनिक–शल्य चिकित्सक–सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा के " **जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मरीज को गंभीर अवस्था में प्राथमिक ईलाज के बाद बेहतर ईलाज हेतु पी0एम0सी0एच0 पटना रेफर किया गया था, चूँकी यह मामला लगभग उन्नीस वर्ष पूर्व का है जिसके कारण शिकायतकर्त्ता द्वारा लगाये**

गये आरोप (एम्बुलेंस एवं ऑक्सीजन सिलेन्डर की अनुपलब्धता) के संबंध में कोई भी स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ”

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 के अन्तर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग **एक वर्ष पूर्व तक के ही मामलों में संज्ञान** लेने का क्षेत्राधिकार है। प्रसंगाधीन मामले में धटना की तिथि दिनांक–21.06.2001 है, जबकि परिवादी की ओर से राज्य मानवाधिकार आयोग मे मामला दिनांक 29.01.2018 को दाखिल किया गया है, जो एक वर्ष की समय सीमा से अधिक है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को **क्षेत्राधिकार विहीन** पाते हुए खारीज करते हुए संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के प्रतिवेदन (पृ0–44–34/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक